

## FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलेक्टर तारानगर व अध्यक्ष राजस्व लोक अदालत कैम्प

कोर्ट ..... राजपाल..... राजपाल बनाम ..... राजपाल  
किस्म मुकदमा 33 नं. 39 सन् 2018  
27

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुकम की तांमील में जारी हुकम
95/18	<p>आज यह वाद राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ..... <u>राजपाल</u> में ..... <u>राजपाल</u> पुत्र ..... <u>राजपाल</u> जाति ..... <u>राजपाल</u> निवासी ..... <u>राजपाल</u> तहसील ..... <u>राजपाल</u> ने पेश किया। अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजिस्ट्रर हो।</p> <p>पक्षकारों ने उपस्थित होकर ..... <u>50</u> रूपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर व नक्शा ट्रेस पर वाहमी राजीनामा पेश किया। राजीनामा पक्षकारों को समझाया गया। सभी पक्षों ने राजीनामा पढ व समझ कर सही होना स्वीकार किया। राजीनामा प्रमाणित कर शामिल पत्रावली किया गया। पक्षकारों की पहचान ..... <u>राजपाल</u> सरपंच ग्राम पंचायत ..... <u>राजपाल</u> सदस्य लोक अदालत संलाहकार समिति ..... <u>राजपाल</u> ने की। पक्षकारों का खाता विभाजन का वाद लोक अदालत बैच ..... <u>राजपाल</u> द्वारा स्वीकार किया जाता है। नक्शा ट्रेस में वर्णितानुसार कृषि भूमि पक्षकारों के इकठ्ठा हिस्सा में रहेंगी। तहसीलदार तारानगर को नक्शा ट्रेस की प्रति भिजवाई जाकर राजीनामा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु आदेश जारी हो।</p> <p>पत्रावली निर्णय में शुमार की जाकर नम्बर से कम हो तथा तरतीब, तकमील होर दाखिल दफ्तर हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
तारानगर (घरु)